भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण / SEEPZ SEZ AUTHORITY
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-2829774 / 28294701 फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/आरएलआर/2014-15/ 08921 दिनांकः 11 अगस्त, 2020

परिपत्र सं. 03 दिनांकः 11/8/2020

विषयः- वर्ष 2020-21 तथा उसके पश्चात पट्टा किराया/बीएमसी कर/सेवा कर के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में ।

यह मंत्रालय के दिनांक 31.10.95 के पत्र के संदर्भ में है जिसमें अग्रिम किराए के भुगतान तथा यूनिटधारकों द्वारा इसका भुगतान न करने पर 12% की दर से ब्याज देयता की लेवी के संबंध में कतिपय मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 11.05.2020 के पत्र सं.के-43014 (16)/5/2020-सेज़ में दिए गए निदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । तथापि, इस मामले में मंत्रालय द्वारा आगे और कोई छूट नहीं दी गई है ।

वेबसाइट पर पहले से अपलोड किए गए बिलों के अनुसार पट्टा किराया तथा अग्नि उपकर के भुगतान की कार्यप्रणाली को परिभाषित किए जाने के संबंध में ट्रेड से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार यह मामला दिनांक 07.8.2020 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उठाया गया । प्राधिकरण ने पट्टा किराए के भुगतान के संबंध में उक्त प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार कार्यप्रणाली अनुमोदित की :-

बिल तिमाही के आधार पर यूनिटधारकों को जारी किए जाएंगे तथा यूनिटधारकों के लिए संबंधित माह का अग्रिम पट्टा किराए का उक्त महीने की 15 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा ऐसा न किए जाने पर संबंधित महीने के प्रथम दिन से भुगतान किए जाने की तारीख तक डिफाल्ट अवधि का लागू दर से ब्याज वसूल किया जाएगा । ब्याज की यह राशि अगले बिल में दर्शाई जाएगी ।

प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि यूनिटधारकों को पहले जारी किए जा चुके बिलों का भुगतान करना है तथा आगे के बिलों का भुगतान निम्नानुसार तरीके से निर्धारित तारीखों के अनुसार करना है, ऐसा न किए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ब्याज की लेवी की जाएगी ।

क्रमांक	महीना/नों का किराया बिल	तक अथवा इसके पूर्व भुगतान की निर्धारित तारीख
1	अप्रैल से जून, 2020	31.07.2020 (एमओसी द्वारा आस्थगन अनुमति दिए जाने के कारण)
2	जुलाई, 2020	15.07.2020
3	अगस्त, 2020	15.08.2020
4	सितंबर, 2020	15.09.2020
5	अक्टूबर, 2020	15.10.2020
6	नवंबर, 2020	15.11.2020
7	दिसंबर, 2020 तथा आगे	15.12.2020
8	अक्टूबर से दिसंबर, 2020 तिमाही तथा जनवरी से मार्च, 2021 तिमाही के बिल तिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे । तथापि, महीने का उस महीने की 15 तारीख तक अथवा इसके पूर्व अग्रिम भुगतान किया जाना आवश्यक है ।	

सभी यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे किराए प्रभार के भुगतान के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करें । सभी यूनिटधारकों के ध्यान में यह बात भी लाई जाती है कि मंत्रालय के दिशा-निदेशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार वार्षिक आधार पर पट्टा किराए में संशोधन किया जाना है । ट्रेड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के कारण वर्ष 2019-20 में पट्टा किराए में संशोधन नहीं किया गया था । कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एमओसी द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भी इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी । तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.4.2021 से पट्टे किराए में संशोधन किया जाएगा ।

यह अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(रा. हरीश चौधरी)
संपदा प्रबंधक/सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण